कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com & dfo-hazaribaghwest@gov.in

पत्रांक 2160 दिनांक 28/6/2021

सेवा में,

Shri Manoj Agrawal,
President, ADANI ENTERPRISES LTD.
Adani Corporatae House,
Shantigram, Near Vaishno Devi Circle,
S.G. Highway, Khodiyar.
Ahmedabad- 382421, Gujarat.

विषयः– गोन्दलपूरा कोल खनन परियोजना हेतु 219.65 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– आपका ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/JH/MIN/139492/2021 तथा Ref. AEL/GCM/FC/2021/24 dated 17.06.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा प्राप्त वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियां पायी गयी है :–

1. प्रस्ताव के पार्ट–1 के प्रत्येक पृष्ठों के अतिरिक्त एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न सभी अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठों में प्रयोक्ता संस्थान के प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर नाम एवं पदनाम मुहर सहित समर्पित किया जाय।
2. प्रस्ताव में वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य सहित विस्तृत रिक्लेमेशन प्लान समर्पित संलग्न किया जाय।
3. प्रस्ताव के साथ समर्पित सन्निहित भूमि का संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित संलग्न भूमि विवरणी को 16''=1 Mile के स्केल के Tracing cloth Map पर दर्शते हुए समर्पित किया जाय।
4. विषयगत परियोजना में पडने वाले मौजों का मानचित्र Tracing cloth Map में अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि तथा जंगल झाड़ी भूमि अलग–अलग रंग से दर्शाते हुए समर्पित किया जाय जोकि कैडस्ट्रल मानचित्र 16"=1 मील के पैमाने पर हो।

5. विषयगत परियोजना के फलस्वरूप प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना सूची ग्रामवार, थानावार, प्लॉटवार, 7" से कम एवं 7" से उपर, Dia Wise वृक्षो सारांश सहित समर्पित किया जाय।

6. अपयोजित होने वाले वन भूमि के विरूद्ध समतुल्य (रैयती) गैर वन भूमि क्षतिपूरक वनरोपण स्थल को Tracing cloth कैडस्ट्रल मैप एवं टोपो मैप 1:50000 स्केल पर दर्शाते हुए तथा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वन भूमि स्थल का Geo-reference Map (In shape file) , उपयुक्तता प्रमाण पत्र/ दस वर्षीय विशिष्ट प्राक्कलन के साथ संलग्न किया जाय। इस संबंध में प्रस्ताव के साथ समर्पित आपका वचनबद्धता स्वीकार्य नहीं है।

7. सेफ्टीजोन के बारे में स्पष्ट सूचना प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। सेफ्टीजोन क्षेत्र को कैडस्ट्रल मानचित्र पर दर्शाया जाय।

8. आपके द्वारा पूर्व का डी.जी.पी.एस. सर्वे समर्पित किया गया है। कृपया इसकी समीक्षा कर पुनः प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर मुहर कर सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में संलग्न किया जाय।

9. प्रस्ताव के साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार मांग किये जाने वाले एन.पी.भी. एवं क्षतिपूरक वनरोपण एवं अन्य राशि जमा करने के संबंध में बचनबद्धता प्रमाण पत्र अलग–अलग दिया जाय।

10. प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव में संबंधित उपायुक्त के स्तर से निर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 अन्तर्गत विहित प्रपत्र में प्राप्त कर संलग्न किया जाय। साथ हीं प्रस्ताव में पडनेवाले सभी ग्रामों में ग्राम सभा कराकर पारित सहमति पत्र प्रस्तााव के साथ संलग्न किया जाय।

11. प्रस्ताव अन्तर्गत पड़ने वाले जंगल–झाड़ी भूमि का संबंधित उपायुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जाय।

12. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्रांक 4715 दिनांक 27.11.2018 (छाया प्रति संलग्न) आदेश के कम में प्रपत्र –1 में उपायुक्त का प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र –2 में प्रयोक्ता अभिकरण का बचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना है।

13. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किसी तरह का अतिरिक्त शर्त लगाया जाता है तो उसका अनुपालन करने संबंधी बचनबद्धता प्रमाण पत्र दिया जाय।

14. प्रस्ताव के साथ Justification for Locating वनभूमि/ गैर वनभूमि/ गैर मजरूआ जंगल झाडी से संबंधित अभिलेख समर्पित किया जाय। आपके द्वारा External OB dump area outside of block के लिए 65.23 हे0 वन भूमि का आवेदन दिया गया जिसका Justification विशेषरूप से अलग से समर्पित किया जाय। प्रस्ताव के अनुलग्नक 5 के रूप में समर्पित Justification स्वीकार्य नहीं है।

15. प्रस्ताव के साथ Land use Map संलग्न किया जाय।

16. Environmental Clearance संबंधी प्रमाण पत्र/अभिलेख Environmental Impact Assessment report के साथ संलग्न किया जाय।

17. प्रस्ताव के साथ Soil and water conservation scheme, Integrated Wildlife Management Plant (Specific Plan based on NKCP) का प्रस्ताव की प्रति समर्पित किया जाय।

अतः त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव की सभी मूल प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि त्रुटियों का निराकरण कर प्रतिवेदन के साथ संशोधित का पूर्ण प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि अग्रत्तर कार्रवाई किया जा सके। यह उल्लेख करना है कि जबतक आपके द्वारा संशोधित एवं त्रुटिरहित प्रस्ताव समर्पित किया जाता है तबतक उक्त प्रस्ताव प्राप्त प्रस्ताव की श्रेणी में नहीं माना जाएगा।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल